

संवा में

मीठार,  
शरजी की पब्लिक स्कूल गाँव 63102

यादी क्रमांक 23/10-2003 दि. 02  
दिनांक, चण्डीगढ़ 6-4-04

विषय:- नया विद्यालय खोलने वारे मामला-

उपरोक्त विषय पर आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में।

आपके मामले में निम्नलिखित कर्मियों माई माई हैं- सुचित किया जाता है  
की प्रो. काल्ड को पहले ही C.B.S.E. के लिए  
N.O.C. जारी किया जा चुका है वार. वर्ग. प्रमाणित  
निगमा जुलार प्रो. काल्ड को स्कूल खोलने की  
अनुमति प्राप्त करना (आप प्रो. काल्ड को ही प्रो. काल्ड  
प्रमाणित 2 गुरुकुल (शारी गुरुकुल) देव काल्ड बनाकर  
निदेशालय में भेजें।

उपरोक्त कमियां दूरस्त दूर करते हुए आप अपना मामला सात दिन के  
अन्दर-अन्दर निदेशालय में भिजवाये अन्यथा आपका केस अस्वीकार कर दिया जायेगा  
जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

*(Handwritten Signature)*

अधीक्षक विद्यालय-1  
कृत: निदेशक संकेंद्ररी शिक्षा हरियाणा  
चण्डीगढ़  
दिनांक चण्डीगढ़

पृ० क्रमांक सम

इसको एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी  
उनके पत्र क्रमांक \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_

को  
के संदर्भ में प्रेषित है।

*(Handwritten Signature)*  
अधीक्षक विद्यालय-1  
कृत: निदेशक संकेंद्ररी शिक्षा हरियाणा  
चण्डीगढ़